क्रम-संख्या—652

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 9 अक्तूबर, 1978

आश्विन 17, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2704/सत्रह-वि0-1—91-78

लखनऊ, 9 अक्तूबर, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 5 अक्तूबर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1978]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 2, सन् 1974 की धारा 24 का संशोधन

2—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "लोक अभियोजक" के पश्चात् शब्द "और एक या अधिक, अपर लोक अभियोजक" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"(7) उपधारा (5) और (6) के प्रयोजनार्थ उस अवधि को, जिसमें किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय या लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के रूप में सेवा की है, ऐसी अवधि समझा जायगा जिसमें ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा है।"

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 2704(2)XVII-V—1-91-1978
Dated Lucknow, October 9, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Dand Prakriya Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 33 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 5, 1978.

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1978

(U. P. Act no. 33 of 1978)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1978.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 24 of Act no. 2 of 1974.

2. In section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973—

(*a*) in sub-section (1), *after* the words "Public Prosecutor" the words "and one or more Additional Public Prosecutors" shall be inserted and be deemed always to have been *inserted* ;

(*b*) *after* sub-section (6), the following sub-section shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*, namely:—

"(7) For the purposes of sub-sections (5) and (6), the period during which a person has been in practice as a pleader, or has rendered service as a Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate."

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 576 राजपत्र (हिन्दी)—9-10-78—(2345)-1978-2083 (मेक०)।